न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 149/2015

1 मुखाराम आयु 70 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जन निवासी बृसिंहवास तन आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लिछमण सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
3 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2011 बउनवानी मुखाराम बनाम लिछमण सिंह आदि में प्रसारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 के विरूद्व अपील प्रस्तुत है।

उपस्थिति :

1. श्री जवाहरमल जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 22.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 24/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 251/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर बारानी अव्वल ग्राम बृसिंहवास पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदारी विधि विरूद्व व गलत रूप से हिस्से 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त करवाने बाबत विचारण न्यायालय में एक दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादी/अपीलांट ने पेश किया था। उक्त दावे में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा भी दिनांक 13.06.2011 को हो चुका जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2011 को तस्दीक फरमाया जा चुका है। उक्त पत्रावली राजस्व अभियान के दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प सिरोही पर पेश हुए जहां पर विचारण न्यायालय द्वारा अवैध व विधिविरूद्व रूप से दावे को दिनांक 22.06.2015 को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी का कृषि भूमि खसरा नम्बर 251/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बृसिंहवास तन आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर पर अपने पिता के जीवन काल से कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है व आज भी है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का व अन्यों का उक्त कृषि भूमि से कभी कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सरोकार हक अधिकार नहीं रहा है। विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांट व रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य दिनांक 13.06.2011 को राजीनामा हो चुका जो राजीनामा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा को दिनांक 13.06.2011 को तस्दीक किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा न्याय गांवो के साथ अभियान चलाने की मंशा यही है कि गरीबो को लोक अदालत के माध्यम से न्याय मिले। इसके विपरित विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्व अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.06.2015 के अवलोकन से प्रमाणित है कि अपीलांट/वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रतिवादी की गैर हाजरी में ही उक्त निर्णय पारित किया है। इसलिए न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रतिवादी के हस्ताक्षर नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेंट को मुगालते में रखकर हस्ताक्षर करवाये गये है। वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है। दस्तावेजो से प्रामाणित नही है। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में मूल लगान की रसीद, मूल भू–प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2022 से 2024 तक, नामान्तकरण 909 ग्राम बृसिहवास, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी 2033 से 2036 तक, प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2020 से 2040 तक, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2069–2072 प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के समर्थन मे किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में राजस्व कर अपवंचना मानते हुये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है। इसमे हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर